राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट–I/16620–17162 दिनांक : 17/10/2016

1.समस्त उप महानिरीक्षक
पंजीयन एवमं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान

2.समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णकालीन एवमं पदेन)
राजस्थान

विषय :पंजीबद्व किये जाने वाले दस्तावेजो पर किये जाने वाले पृष्ठांकनो पर एवमं कर्तव्य निर्वहन के दौरान की जाने वाली टिप्पणी एवमं अन्य दस्तावेजो पर अपना नाम एवमं पदनाम तथा दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजो पर पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा – 52 से 58 एवं धारा–60 की उपधारा (1) एवमं राजस्थान पंजीयन 1955 खण्ड प्रथम के नियम 185 के अनुसार किये जाने वाले पृष्ठांकनो पर उक्त अधिनियम की धारा 59 एवं धारा–60 की उपधारा (2) के अनुसार उप पंजीयक के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक सहित किये जाने का प्रावधान है।

उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उप पंजीयकों द्वारा पंजीबद्व किये जाने वाले दस्तावेजो पर उपरोक्त विधिक प्रावधानो के अनुसार किये जाने वाले पृष्ठाकंनो पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर, दिनांक सहित नहीं किये जा रहे हैं। दस्तावेजो पर मात्र लघु हस्ताक्षर कर दस्तावेज का पंजीयन किया जा रहा हैं। उप–पंजीयकों द्वारा किया जा रहा उपरोक्त कृत्य, उपरोक्त विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता हैं।

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवमं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी टिप्पणी, नोट, जारी किये जाने वाले पत्रादि एवं अन्य दस्तावेजों पर किये जाने वाले हस्ताक्षरों के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.).
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

रूप से अंकित करने के निर्देश मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, अनुभाग के स्तर से जारी किये गये परिपत्र कमांक प.10(1)प्र.सु./अनु–1/2012 दिनांक 24–05–2013 के द्वारा दिये गये है। **विभाग के ध्यान में आया है कि उपरोक्त निर्देशो की पालना आपके स्वयं के कार्यालय एवं उप पंजीयक कार्यालयों में नहीं की जा रही है।**

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में उप पंजीयको के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजो पर पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा–52 से 58 एवं धारा–60 की उपधारा (1) एवमं राजस्थान पंजीयन 1955 खण्ड प्रथम के नियम 185 के अनुसार किये जाने वाले पृष्ठांकंनो पर उक्त अधिनियम की धारा 59 एवं धारा–60 की उपधारा (2) के अनुसार उप पंजीयक के पद के साथ नाम एवमं पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक सहित करते हुए दस्तावेजो का पंजीयन करें।

समस्त उप महानिरीक्षक अपने–अपने वृत्त में पंजीयन अधिनियम 1908 के उपरोक्त विधिक प्रावधानों की शत–प्रतिशत पालना किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के स्तर से जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 24.5.2013 के निर्देशों के अनुसार **अपने स्वयं के कार्यालय एवं उप पंजीयक कार्यालयों में कर्तव्य निर्वहन के द्वौरान किसी टिप्पणी, नोट, जारी किये जाने वाले पत्रादि एवं अन्य दस्तावेजों पर किये जाने वाले हस्ताक्षरों के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित करते हुए कार्य सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।**

भविष्य में निरीक्षण आदि के दौरान उपरोक्त विधिक प्रावधानो एवमं विभागीय निर्देशो की अवहेलना पाये जाने पर इसे गंभीरता से लिया जाकर संबन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

17-10-2016

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट–I/17162–17166 दिनांक : 17/10/2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवमं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. वितीय सलाहकार, मुख्यालय अजमेर।
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, कम्प्युटर, मुख्यालय अजमेर को विभागीय की वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

17-10-2016

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.).
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in